

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 658 / 2005

संस्थित दि: 14 / 07 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

अरविंद उर्फ भुल्लन पिता राजपाल कश्याप, उम्र 24 साल,
निवासी ग्राम तिरसा, थाना भोपा, जिला मुज्जफर नगर (उ.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उपापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 10 / 09 / 2014 को उपापित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी धनकुंवरबाई ने आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 31.05.2014 को 01:30 बजे भुल्लन नाथ का लड़का जो पहले उसकी बड़ी बहन बबली को अपने साथ उत्तरप्रदेश ले गया था और उसके माता-पिता भी साथ में काम करने गये थे। वह उसके घर आया 01:30 बजे उससे बोला कि तेरी बहन बबली को उसने रख लिया है तुझे भी रख लूंगा वह डर गई, ईधर-उधर छिपने लगी करीब 04:00 बजे भुल्लन जबरन उसे डांटकर साथ ले जा रहा था वह चिल्लाई तो उसके चाचा शंकुलाल आ गये और आरोपी को पकड़ लिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में अरविन्द उर्फ भुल्लन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48 / 14 अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 452 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 452 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में

उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।
- (08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक **24.09.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)